

प्रेषक,

सदा कान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. उपाध्यक्ष,<br/>समस्त विकास प्राधिकरण,<br/>उत्तर प्रदेश।</p> <p>3. अध्यक्ष,<br/>समस्त विशेष क्षेत्र,<br/>विकास प्राधिकरण।</p> | <p>2. आयुक्त,<br/>उ०प्र० आवास एवं विकास<br/>परिषद, लखनऊ।</p> <p>4. नियंत्रक प्राधिकारी,<br/>समस्त विनियमित क्षेत्र,<br/>उत्तर प्रदेश।</p> |
|--|---|

### आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

**विषयः—** उच्च (चिकित्सा) शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या—2179/71-2-2013-सा—29/2012, दिनांक—20.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित शासनादेश के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना का विस्तार किये जाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme) लागू की गयी है, उक्त योजना में निजी निवेशकों के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन/सुविधाओं का विवरण उच्च (चिकित्सा) शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या—2179, दिनांक—20.06.13 में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय तथा तदक्रम में निर्गत उपरोक्त शासनादेश के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित निम्न प्रोत्साहन सुविधायें अनुमन्य होंगी :—

- (1) मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु एम.सी.आई द्वारा यथा समय निर्धारित मानकानुसार आवश्यक भूमि के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क केवल ₹० १/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से लिया जायेगा।
- (2) भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01 माह के अन्दर सुसंगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों के अधीन निर्णय ले लिया जायेगा। हरित पट्टी, तालाब, पोखर आदि के क्षतिप्रय भू-उपयोगों का परिवर्तन मेडिकल कालेज के लिए नहीं किया जायेगा।
- (3) विकास शुल्क/मलवा शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क से पूर्ण छूट दी जायेगी। भूमि तथा शुल्क सम्बन्धी दी जाने वाली सभी सुविधायें एम.सी.आई. द्वारा यथासमय निर्गत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता की सीमा तक लागू होंगी।

3— इस सम्बन्ध में मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा जारी "Establishment of Medical College Regulations, 1999" (Amended Upto April,2010) में न्यूनतम क्षेत्रफल के संबंध में निम्न प्राविधान है :—

" The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in metropolitan (New Delhi,

Mumbai, Kolkata, & Chennai) and 'A' class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs (other than the nine cities mentioned in the clause), hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill states and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 Kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents and nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land, proper landscaping should be done."

मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा उक्त प्राविधानों में संशोधन करने पर भूमि तथा शुल्क सम्बन्धी दी जाने वाली सभी सुविधायें एम.सी.आई. द्वारा यथासमय निर्गत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता की सीमा तक ही लागू होगी।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार सुविधा केवल निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु, सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना लागू होने के दिनांक 20.06.2013 से अनुमन्य होगी।

5— प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—2801 / 8-3-2011-32एल.यू.सी./ 96, दिनांक—10.08.2011 केवल उक्त प्रस्तर—2-4 में वर्णित सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

6— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,  
*hull*  
(सदा कान्त) 30/12/13.  
प्रमुख सचिव

#### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
*(पी०एन०यादव)*  
अनु सचिव